(1)

1-16

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लो०नि०वि० पौड़ी

उत्तराखण्ड राज्य

E Mail ID:- eepwdcdpauri@gmail.com, eepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

पत्रांक 79 /2भू0आ0 दिनांक 15/1/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल सोयम पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल।

विषयः– **जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत देहलचौरी–पौड़ी मोटर मार्ग से चामापानी–धौलकण्डी होते हुये काण्डा मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 2.125 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/120/2020/एफ0सी0/2347 दिनांक 22.02.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है–

कं0 सं0	शर्त	अनुपालन
1	वन भूमि विधिक परिस्थितियां नही बदली जायेगीं।	शर्त नं0 01– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदले जाने के लिये वचनबद्ध है।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त नं0 02– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि पर स्वामित्व माना जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः** (i)- वन भूमि द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.25 हे0 सिविल वन भूमि ग्राम धौलकण्डी खसरा सं0 317 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा, तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	शर्त नं0 03 (i) – के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि पर अर्थात 4.25 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम धौलकण्डी तहसील श्रीनगर में प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उनके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु वर्तमान दरों को सहमत करते हुये यथा संशोधित आवश्यक धनराशि ₹ 1433032.00 (चौदह लाख तेतीस हजार बत्तीस मात्र) जमा कराया जा चुका है (चालान की प्रति संलग्न है)।
	(ii)- गैर वन भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रोपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	(ii) – के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि जो राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/रोपान्तरित किया जायेगा, भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं हस्तान्तरण/नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने के लिये वचनबद्ध है।
	(iii)- वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	(iii) – उक्त शर्त संख्या वन मण्डल अधिकारी से सम्बन्धित है।

प्रभाग सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी

01/02/2022

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किया जा सकता है।	शर्त नं0 4 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंमन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा करने के लिये सहमत है। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित करने के लिये सहमत है। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जाने के लिये सहमत है।
5	<u>शुद्ध वर्तमान मूल्यः</u> (i)- इस सम्बन्ध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दि0 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03. 2008, 24.04.2008, एवं 9.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5.1/1998–एफ0सी0(PT.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006एफ0सी0 दिनांक 03.10. 2006 एवं 5–3/2007एफ0सी0 दि0 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.125 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(i)- के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/120/2020/एफ0सी0/2347 दिनांक 22.02.2021 के तहत दिये गये दिशा निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की निर्धारित राशि कुल रू0 4572739.00 (पैंतालिस लाख बहत्तर हजार सात सौ उन्चालिस) जमा की जा चुकी है। (चालान की प्रति संलग्न है)।
	(ii)- विशेषज्ञ समित से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ii)- के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में यदि कोई बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये जाने हेतु वचनबद्ध है इस आशा का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 06 ट्री से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सक्षत पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 06 होगी। ऐसे पेड़ राज्य वन विभाग के संख्या पर्यवेक्षण में काटे जायेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा करने के लिय वचनबद्ध है।
7	The DFO will revise the NPV sheet as dense forest rate quoted for 0.2 density area which name s for open forest	This point compliance is releted with DFO
8	प्रयोक्ता के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा किये जायेगें।	के अनुपालन में सभी निधियों (CA cost NPV etc.) पोर्टल पर Online Genrate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑन लाईन बैंक में एन0पी0वी0 व अन्य वांछित धनराशि प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धक तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या में कुल रू0 4572739.00 (पैंतालिस लाख बहत्तर हजार सात सौ उन्चालिस) वन विभाग के पक्ष में जमा किया गया है, एवं वैव पोर्टल पर भी भुगतान प्राप्त प्रदर्शित है।
9	गाईड लाईन में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की	गाईड लाईन में दिये गये दिशा निर्देशानुसार ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं आदेश की प्रति आपके कार्यालय को भी प्रेषित कर दी जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है।

	दिनांक से एक वर्श की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी।	
10	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से करने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाने के लिये वचनबद्ध है।
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेगें।	सम्बन्धित क्षेत्र/वन क्षेत्र में निर्धारित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाने के लिये सहमत है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनिमय 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के लिये सहमत है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदलने के लिये सहमत है।
15	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किये जाने के लिये सहमत है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्र्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोतो से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिये जाने पर सहमत है।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन करने पर सहमत है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	परियोजना के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाये जाने के लिये सहमत है।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के लिये प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किये जाने के लिये सहमत है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेन्सियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किये जाने के लिये सहमत है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं प्रर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	इसमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही किये जाने पर सहमत है।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू किये जाने के लिये सहमत है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट सिलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे । राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण सिलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थानों पर मलवा निस्तारण करेगा। सम्बन्धित सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है।

	तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण किसी अन्य अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश जो इस प्रस्ताव पर लागू होगा उसकी अनुमति लेने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड़ की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड़ किये जाने के लिये सहमत है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों के साथ अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

15/01/22

(इं0 धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(इं0 धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लो०नि०वि० पौड़ी
UTTARAKHAND
उत्तराखण्ड राज्य
E Mail ID:- eepwdcdpauri@gmail.com, eepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत देहलचौरी–पौड़ी मोटर मार्ग से चामापानी–धौलकण्डी होते हुये काण्डा मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य 2.125 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौडी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पौडी गढवाल

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लो०नि०वि० पौड़ी

उत्तराखण्ड राज्य

E Mail ID:- eepwdcdpauri@gmail.com, eepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत देहलचौरी–पौड़ी मोटर मार्ग से चामापानी–धौलकण्डी होते हुये काण्डा मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य के समय न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौडी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पौडी गढवाल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लो०नि०वि० पौड़ी
E Mail ID:- eepwdcdpauri@gmail.com, eepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत देहलचौरी–पौड़ी मोटर मार्ग से चामापानी–धौलकण्डी होते हुये काण्डा मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यालय की संस्तुति एवं भू–वैज्ञानिक के द्वारा दिये गये सुझाव का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौडी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पौडी गढवाल

UTTARAKHAND
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लो०नि०वि० पौड़ी
उत्तराखण्ड राज्य
E Mail ID:- eepwdcdpauri@gmail.com, eepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत देहलचौरी–पौड़ी मोटर मार्ग से चामापानी–धौलकण्डी होते हुये काण्डा मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों पर वन विभाग के देख–रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौडी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पौडी गढवाल

!! कार्यालय जिलाधिकारी, गढ़वाल !!

E-Mail ID:dmgarhwal@gmail.com/PHONE-01368-222250/Fax:222080

संख्या– 1122 /08–भू0अध्य0लि0–भूमि0हस्ता0 / 2021 पौड़ी दिनांक जुलाई 30 ,2021 ।

!! आदेश !!

उपजिलाधिकारी, श्रीनगर द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–109 / र0का0 / श्रीनगर दिनांक 23.07.2021 में देहलचौंरी–पौड़ी मोटर मार्ग से चामापानी–धौलकण्डी होते हुए कांडा मंदिर तक मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु ग्राम धौलकण्डी पट्टी रावतस्यूँ तहसील श्रीनगर अंन्तर्गत पूर्व चिन्हित नॉन0जेड0ए0 श्रेणी 9(3)ख (झाड़ी) खाता संख्या–07 के खसरा संख्या–317 रकवा 8.024 है0 मध्ये 4.250 है0 सिविल भूमि वन विभाग, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के नाम हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत उपलब्ध कराया गया है:–

1. ग्राम धौलकण्डी पट्टी रावतस्यूँ के नॉन0जेड0ए0 श्रेणी 9(3)ख (झाड़ी) खाता संख्या–07 के खसरा संख्या–317 रकवा 5.956 है0 मध्ये 8.024 है0 मध्ये 4.250 है0 सिविल भूमि वन विभाग, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के नाम हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित की गई है।
2. प्रस्तावित भूमि राज्य सरकार की भूमि है।
3. प्रस्तावित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।
4. प्रस्तावित भूमि में कोई शमशानघाट अथवा धार्मिक स्थल नहीं है।
5. प्रस्तावित भूमि में कोई एतिहासिक इमारत नहीं है।
6. प्रस्तावित भूमि भू–अभिलेखों में उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी 9(3)ख (झाड़ी) दर्ज अभिलेख है।
7. प्रस्तावित भूमि में वन अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू है।

अतः उक्तानुसार ग्राम धौलकण्डी पट्टी रावतस्यूँ तहसील श्रीनगर अन्तर्गत पूर्व चिन्हित नॉन0जेड0ए0 श्रेणी 9(3)ख (झाड़ी) खाता संख्या–07 के खसरा संख्या–317 रकवा 8.024 है0 मध्ये 4.250 है0 सिविल भूमि वन विभाग, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Photo Copy Attestd
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

(डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे),
जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. उपजिलाधिकारी, श्रीनगर, गढवाल।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, पौड़ी।
5. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0लो0नि0विभाग, पौड़ी।
6. तहसीलदार, श्रीनगर।
7. कार्यालय प्रति।

जिलाधिकारी,
गढवाल।

Photo Copy Attestd

ग्राम - धोबकण्डी, पट्टी - सवालस्यूँ, तह० - श्रीनगर (गढ़०), जिला -

2	3	4	5	6	7 - 19	20
श्रेणी - 9(3) ख - अन्य वृक्षों एवं झाड़ियों के समूह -						
7	उ० ख० (झाड़ी)		2	0.228	माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश दि० 30 जुलाई 2021 सं० - 1022/08 - भू अध्याप्ति / 2021 के अनुसार ग्राम - धोबकण्डी पट्टी - सवालस्यूँ के नाम उ० ख० - श्रेणी 9(3) (झाड़ी) खाता सं० - 07 के खसरा सं० 317 8.024 हे० मध्ये 4.250 है० सिविल भूमि केदारचौड़ी मोटर मार्ग से धामपानी धोबकण्डी होते हुए जामणी मोटर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु भारमुक्त हस्तांतरण हेतु लोक निर्माण विभाग पौड़ी के नाम हस्तान्तरित होने की स्वीकृति के फलस्वरूप दर्ज किया दि० 02/08/2021	
			x	x		
			x	x		
			317	8.024		
			x	x		
			x	x		
			1598	0.150		
		योग	54	37.955		

प्रमाणित प्रति

(मानस मोहन) 17/08

रा० उ० नि० ...

तहसील ... श्रीनगर ...

जनपद पौड़ी गढ़वाल

Photo Copy Attestd

Assistant Engineer

C.D. P.W.D Pauri

<u>प्रारुप–30.2</u>

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत देहलचौंरी–पौड़ मोटर मार्ग से चामापानी–धौलकण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.000)

<u>कार्यालय उप जिलाधिकारी, सतपुली</u>
<u>अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र</u>
<u>उपखण्ड स्तरीय समिति, पोखड़ा</u>

उपखण्ड **<u>श्रीनगर</u>** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **<u>श्रीनगर</u>** (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.125 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.000 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.125 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील श्रीनगर) की दिनांक ———————— को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ————उपजिलाधिकारी ————————————अध्यक्ष
2– श्री ————उप प्रभागीय वनाधिकारी————————सदस्य
3– श्री ————सहायक समाज कल्याण अधिकारी————सदस्य/सचिव
4– श्री ————बी0डी0सी0 ~~विकासखण्ड कोट~~ ————————सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देहलचौंरी–पौड़ मोटर मार्ग से चामापानी–धौलकण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर परियोजना हेतु 2.125 हे0 वन भूमि ————————————————————————————————

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ————————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी में माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति का वन अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः उपखण्ड में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

Photo Copy Attestd

Photo Copy Attestd
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड श्रीनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत देहलचौरी–पौड़ मोटर मार्ग से चामापानी–धौलखण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर परियोजना के निर्माण हेतु 2.125 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–श्रीनगर
जनपद पौड़ी गढ़वाल
उपजिलाधिकारी
श्रीनगर गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–श्रीनगर
जनपद पौड़ी गढ़वाल
उपजिलाधिकारी
श्रीनगर गढ़वाल

Photo Copy Attestd
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

प्रारुप–30.1

Annexure....

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Garhwal (U.K.)

R-122/19

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Garhwal District constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dhiraj Singh Garbyal, I.A.S, deputy commissioner, Pauri on dated.15/4-2019 at time 12:45 am.at Pauri in which the application claiming rights in area measuring **2.125 Hectare** for the construction of **From Dehalchauri-Pauri Motor Road to Chamapani-Daulkandi upto Kanda Mandir** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Kot** sub division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no bjection/claims were found to have been made & hence District level ommittee recommends the above case for diversion of land for the said urpose.

ace: Pauri.

ted: ....

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

Photo Copy Attestd
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

It is further Certified that minutes of meeting of Construction of From Dehalchauri-Pauri Motor Road to Chamapani-Daulkandi upto Kanda Mandir Motor Road (5.000 Km.) regarding FRA is as following:

Sl No.		Remarks
(a)	The complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire **2.125 hectares** area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Sub Division level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
ɔ)	The Diversions of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No Objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

ɔer District Board
uri Garhwal

जिला समाज कल्याण अधिकारी
District Social Welfare Officer
पौड़ी गढ़वाल
Pauri Garhwal

Divisional Forest Officer
Pauri Garhwal

ʼutive Engineer
ıction Division
ʼD. Pauri

Deputy Commissioner
Garhwal, Pauri
जिलाधिकारी

Photo Copy Attestd
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त कोट ब्लॉक में जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में **देहलचौंरी–पौड़ी मोटर मार्ग से चामापानी–धौलकण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.000)** हेतु प्रस्तावित सिविल भूमि 2.125 है0 लो0नि0वि0 को उपखण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यवर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
आई0ए0एस0
जिलाधिकारी गढ़वाल

जिलाधिकारी
गढ़वाल

Photo Copy Attestd
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

लो0नि0वि0 पौड़ी

..anCorp.aspx?pid=ROAD413192019044&INVLD=T

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | Corporation

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 15-09-2021

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6141319044
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/120/2020/FC
Address.	Construction Division PWD Pauri,Pauri Garhwal Pauri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdcdpauri@gmail.com 9634412527 1368-222284
Amount(in Rs)	4572739/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words Forty Five Lakh Seventy-Two Thousand Seven Hundred and Thirty Nine Rupees Only

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.

15/9

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | Corporation

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 15-09-2021

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6141319044
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/120/2020/FC
Address.	Construction Division PWD Pauri,Pauri GarhwalPauri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdcdpauri@gmail.com 9634412527 1368-222284
Amount(in Rs)	4572739/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words Forty-Five Lakh Seventy-Two Thousand Seven Hundred and Thirty-Nine Rupees Only

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | Corporation

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 15-09-2021

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6141319044
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/120/2020/FC
Address.	Construction Division PWD Pauri,Pauri GarhwalPauri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdcdpauri@gmail.com 9634412527 1368-222284
Amount(in Rs)	4572739/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words . Forty-Five Lakh Seventy-Two Thousand Seven Hundred and Thirty-Nine Rupees Only

RTGS No 037122021092226713
Dated 22/09/2021

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
लो०नि०वि० पौड़ी

Photo Copy Attestd
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri